ई-मेल का पता
olgc-ppqs@gov.in

टेलीफोन/Telephone:0129-2476333

पत्र सं./No. -ई.-12019/1/2013-राजभाषा

भारत सरकार/Government of India
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
Department of Agriculture & Farmers Welfare
वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय
Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage
एन.एच.4, फरीदाबाद-121001(हरियाणा)/N.H.-IV, Faridabad-121001

दिनांक/Dated: 22 अप्रैल, 2024

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः- अधिकारियों को हिन्दी में डिक्टेशन देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार योजना - वर्ष 2023-2024

सरकारी कामकाज में अधिकाधिक हिन्दी प्रयोग करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि में वर्ष 1990 से अधिकारियों द्वारा हिन्दी में डिक्टेशन देने को प्रोत्साहित करने के लिए उपर्युक्त प्रोत्साहन योजना लागू की गई है । योजना का मुख्य विवरण इस प्रकार है -

1. योजना की अवधि वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) है ।
2. ऐसे सभी अधिकारी, जिन्हें आशुलिपिक की सहायता उपलब्ध है या जो सामान्यतः डिक्टेशन देते हैं, इस योजना में शामिल हो सकते हैं ।
3. इस योजना के अंतर्गत हिन्दी में डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों में से सबसे अधिक डिक्टेशन देने वाले अधिकारी को 1000/- रू. नकद पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किया गया था जिसे समय समय पर संशोधित किया जाता है । अब राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के दिनांक 14 सितम्बर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) द्वारा इस राशि में पुनः संशोधन किया गया है और **संशोधित पुरस्कार राशि 5000/-** रूपये कर दी गई है । यदि अन्य भाषा-भाषी अधिकारी भी इस योजना में भाग लेने के इच्छुक हों तो पुरस्कार दो भी रखे जा सकते हैं । इनमें से एक पुरस्कार हिन्दी भाषी अधिकारी के लिए तथा दूसरा पुरस्कार अन्य भाषा-भाषी अधिकारी के लिए होगा ।
4. नकद पुरस्कार के लिए अधिकारियों का चयन, चयन समिति द्वारा किया जाएगा । समिति का गठन बाद में किया जाएगा ।
5. ऐसे अधिकारी जो नकद पुरस्कार की किसी भी अन्य योजना में भाग ले रहे हों, वे तथा निदेशक (राजभाषा), उप निदेशक (राजभाषा) एवं सहायक निदेशक (राजभाषा) इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे ।

.... 2/-

6. हिन्दी में डिक्टेशन के लिए न्यूनतम शब्दों का निर्धारण भी चयन समिति द्वारा किया जाएगा ।

7. योजना में भाग लेने वाले अधिकारी अपने द्वारा हिन्दी में दिए गए डिक्टेशनों के बारे में संलग्न प्रपत्र में रिकार्ड रखेंगे । यह रिकार्ड उनके वैयक्तिक सहायक/निजी सचिव भी रख सकते हैं, लेकिन उसके सत्यापन का पूरा उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा ।

8. इस पर होने वाला खर्च संबंधित कार्यालय द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना में भाग लेने के इच्छुक निदेशालय (मुख्यालय) एवं अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी कृपया 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 के दौरान अपने द्वारा दी गई डिक्टेशनों का विवरण संलग्न प्रपत्र में सत्यापित करवा कर **30 मई, 2024** तक निदेशालय (मुख्यालय) के राजभाषा अनुभाग को भेज दें ताकि उन्हें पुरस्कार देने पर विचार किया जा सके।

संलग्नक - यथोपरि।

मृणाल 22.04.2024

(मृणाल)
प्रभारी अधिकारी (राजभाषा अनुभाग)
कृते वनस्पति संरक्षण सलाहकार

प्रेषित -

1. निदेशालय (मुख्यालय) के सभी अधिकारी ।
2. निदेशालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित -

1. प्रभारी, आई.टी.सेल को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे निदेशालय (मु.) की वेबसाइट पर अपलोड कर दें ।
2. वनस्पति संरक्षण सलाहकार महोदय के सूचनार्थ उनके आशुलिपिक को।

हिन्दी में अधिक से अधिक डिक्टेशन से संबंधित पुरस्कार योजना के अन्तर्गत रखे जाने वाले

रिकार्ड का प्रोफार्मा

क्रम सं.	दिनांक	फाइल संख्या	डिक्टेशन से लिखे गए शब्दों की संख्या	टिप्पणी

उपर्युक्त विवरण की सत्यता प्रमाणित की जाती है ।

अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम...

पदनाम..